प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2013-14 से 2016-17 में केंद्रीय सरकार के राजस्व विभाग- प्रत्यक्ष कर के मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम दिये गए हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो 2013-14 से 2016-17 की अवधि के लिए परीक्षण आडिट के दौरान अगस्त 2017 से फरवरी 2018 और जुलाई 2018 से अगस्त 2018 तक दो चरणों में आयोजित किए गए थे।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग - केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर से प्राप्त सहयोग के लिये लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।